रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 387] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 24, 1970/कार्तिक 2, 1892
No. 387] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24, 1970/KARTIKA 2, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 24th October 1970

S.O. 3495.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 3981, dated the 22nd December, 1965, the management of the industrial undertaking known as the Muir Mills Limited, Kanpur, had been taken over by the Authorised Controller for a period upto and inclusive of 21st December 1970;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a period upto the 21st December 1971;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the order mentioned above, shall continue to have effect for a further period upto the 21st December 1971.

[No. F. 7/73/70-TEK(G).]
C. S. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1970

का० आ० 3495.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3981, दिनांक 22 दिसम्बर, 1965, द्वारा म्यूर मिल्स लि० कानपुर नामक औद्योगिक उपक्रम का

प्रबन्ध प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा 21 दिसम्बर, 1970 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियन्त्रक के प्रयोग उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 21 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के लिए बना रहना चाहिए ;

अतः अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-ए की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित आदेश का प्रभाव 21 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के लिए और बना रहेगा ।

[सं० फा० 7/73/70-टैक्स (जी)]

सी० एस० रामचन्द्रन, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970